

1/58967/2023

By Email

F.No.A.12018/07/2016.AD.III.B
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

Gr. Floor, Hudco Vishala Building,
Bhikaji-Cama Place, New Delhi,
Dated the 2023

To,

All the Directorates under CBIC
(Through CBIC website)
webmaster.cbic@icegate.gov.in

Subject: RRs for the post of Staff Car Driver (Special Grade) in
Directorates under Central Board of Indirect Taxes and Customs –
regarding.

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver (Special Grade) in Directorates under Central Board of Indirect Taxes and Customs are notified vide G.S.R. 1 (E) dated 2.1.2023. A copy of the above-mentioned Gazette Notification is enclosed for your kind information and necessary action. It may also be downloaded directly from the website: www.egazette.nic.in

Yours faithfully,

Encls.: As Above

(Rajan Kumar Jha)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel. /Fax No.: 26162693

Copy to: (1) The Director General, DGPM,
Drum Shape Building, IP Estate, New Delhi – 110002.

(2) ADG (HRM-I), DGHRD,
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan,
Bhai Vir Singh Marg, New Delhi – 110001

(3) The Pr. Director General,
National Academy of Customs,
Indirect Taxes & Narcotics, NACIN Complex,
Sector - 29, Faridabad – 121008.

(Rajan Kumar Jha)
Deputy Secretary to the Govt. of India



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241611
CG-DL-E-02012023-241611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]
No. 01]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2023/पौष 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2023/PAUSHA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 01 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) और उसके काडर इकाई समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2004, राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004 और प्रकाशन निदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1988 को जहां तक उनका संबंध सभी निदेशालयों के ड्राइवर (विशेष श्रेणी) और मोटर ड्राइवर के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें उक्त नियमों के अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नियंत्रणाधीन निदेशालयों के स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क निदेशालय स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) भर्ती नियम, 2023 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष उपबंध – बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित निदेशालयों का समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (राजपत्रित और अराजपत्रित) के लिए प्रदर्शन प्रबंध सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय दिल्ली काडर नियंत्रण प्राधिकारण होगा, अर्थात् :-

- (i) प्रदर्शन प्रबंध महानिदेशालय
- (ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय
- (iii) माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय
- (iv) संभार तंत्र निदेशालय
- (v) करदाता सेवा महानिदेशालय
- (vi) प्रणाली और आकड़ा प्रबंध महानिदेशालय
- (vii) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला
- (viii) सतर्कता महानिदेशालय
- (ix) मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय
- (x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय
- (xi) लेखापरीक्षा महानिदेशालय
- (xii) विधि कार्य निदेशालय
- (xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय
- (xiv) मुख्य आयुक्त (ए आर), सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सी ई एस टी ए टी)
- (xv) विश्लेषण और जोखिम प्रबंध महानिदेशालय
- (xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय
- (xvii) अंतरराष्ट्रीय सीमा-शुल्क निदेशालय
- (xviii) माल और सेवा कर महानिदेशालय

(2) समूह 'ख' और समूह 'ग' की श्रेणी में सभी विलीन पदों की परस्पर ज्येष्ठता भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/मार्गदर्शन के अनुसार एकीकृत की जाएगी।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)।	07* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400-1,12,400 रु.)।	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
i मुख्यालय कार्यालय का ज्येष्ठतम अपर निदेशक - अध्यक्ष;	
ii मुख्यालय का अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक - सदस्य;	
iii आयकर उपनिदेशक/सहायक निदेशक - सदस्य।	

[फा. सं. ए -12018/07/2016- प्रशा. -III (बी)]

राजन कुमार झा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2023

G.S.R. 01 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in the supersession of the Directorate of the Inspection (Customs and Central Excise) and its Cadre Units in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004; the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Central Excise Intelligence, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules 2004; and the Directorate of Publications (Customs and Central Excise) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988; in so far as they relate to the post of Driver (Special Grade) and Motor Driver for all Directorates except as respect things done or omitted to be done before such supersession of the said rules, the President makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers (Special Grade) in the Directorates under the control of Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Indirect Taxes and Customs Directorates Staff Car Driver (Special Grade) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Special Provision. - (1) Directorate General of Performance Management, Customs and Central Excise, Delhi will be the Cadre Controlling Authority for all Group-B and C posts (Gazetted and Non-Gazetted) for the following Directorates as approved by the Board, namely: -

- (i) Directorate General of Performance Management;
- (ii) Directorate General of Revenue Intelligence;
- (iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence;
- (iv) Directorate of Logistics;
- (v) Directorate General of Tax Payer Services;
- (vi) Directorate General of Systems & Data Management;
- (vii) Central Revenue Control Laboratory;
- (viii) Directorate General of Vigilance;
- (ix) Directorate General of Anti-Profiteering;
- (x) Directorate General of Export Promotion;
- (xi) Directorate General of Audit;
- (xii) Directorate of Legal Affairs;
- (xiii) Directorate General Human Resource Development;
- (xiv) Chief Commissioner, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal;
- (xv) Directorate General of Analytics and Risk Management;

- (xvi) Directorate General of Valuation;
(xvii) Directorate of International Customs;
(xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(2) Inter-se-seniority of all merged Directorates posts in the grade of Group-B and C shall be integrated as per the instructions / guidelines issued by the Government of India.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications. - No person, -

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Special Grade).	7* (2023) (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted /Non-Ministerial.	Pay level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay matrix.	Non-Selection	Not Applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not applicable	Two years	By Promotion

In case of recruitment by promotion/deputation / absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-I in pay level 5 (Rs. 29,200-92,300) of the pay matrix	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): (i) The senior most Additional Director at	Not Necessary.

<p>with three years of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.</p>	<p>Headquarters Office – Chairman;</p> <p>(ii) The Additional Director/ Joint Director, Headquarters – Member;</p> <p>(iii) Deputy Director/ Assistant Director of Income Tax – Member.</p>	
--	---	--

[F. No. A.12018/07/2016-Ad.III.B]

RAJAN KUMAR JHA, Dy. Secy.